राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1650/2012/पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाली

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स केडिया एजेन्सीज पाली

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरण अभिभाषक श्री ओ.पी.दौसाया उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

.प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :03.05.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 32/आरएसटी/पाली/10—11 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—पाली (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 61 एवं 65 के अन्तर्गत वर्ष 1995—96 क लिए कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.1998 के द्वारा आरोपित कर रू. 4,01,083/अधिनियम की धारा 65 व धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियां क्रमशः रू. 8,02,166/— व रू. 340/— तथा आरापित ब्याज रू. 2,32,778/— कुल रू. 14,36,367/—की मांग सृजित की है, में से रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 340/— को यथावत रखते हुए शेष कर,ब्याज शास्ति को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के वर्ष 1995–96 के कर निर्धारण के दौरान पाया गया कि व्यवहारी ने राज्य के बाहर से एक बिल से खरीद किए गए माल को (कलर–केमिकल) की अलग–अलग नगों में विभाजित कर बिल्टियाँ बनवाकर राज्य में रू. 1,00,13,548/–का माल आयात किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस माल का विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 3(बी) के तहत बिल्टियों का हस्तान्तरण कर विक्रय किया गया। अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानानुसार कर से छूट प्राप्त की गई। उक्त बिक्री को कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 3(बी) की बिक्री नहीं मानकर इसे राजस्थान राज्य की स्थानीय बिक्री मानते हुए 4 प्रतिशत से करारोपण

2 kg

किया तथा करापवंचन के उद्देश्य से एक ही बिल के अलग—अलग बिल्टी बनाने के कृत्य पर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर राशि की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश दिनांक 24.03.98 से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के अपराध में आरोपित शास्ति रू. 340/—को यथावत खते हुए शेष आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर सेयह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है इसलिए अपास्तनीय है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को बिना कोई कारण में अंकित किये अपास्त किया है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात शास्ति आरोपित की थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपास्त किया है, जिसको किसी भी दृष्टि से विधिक नहीं उहराया जा सकता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से ब्याज का आरोपण किया गया था,जिसको बिना किसी आधार के अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि Transfer of document of the title to goods जी.आर. व आर आर होते हैं न कि Purchase Invoice। उनका कथन है कि राजस्थान माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2(4) के अनुसार एक बिल से क्य किये गये माल को भिन्न 2 टुकड़ों में बांटकर अलग—अलग जी आर से राज्य में आयातित किया जा सकता है। कथन किया कि जहां तक Splitting of Consignment का सवाल है वह शब्द "Consignment" क्रेन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में इस उल्लेख नहीं है। उनका कथन है कि एक इनवाइस से क्य किये गये माल को अलग —अलग जी आर में बुक कराने पर माल का मूवमेन्ट प्रत्येक जी.आर. के अनुसार स्वतंत्र और एक अलग document of title के रूप में शुरू होता है इसलिए उनका हस्तानान्तरण किया जा सकता है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर से एक क्य बिल से अलग—अलग जी आर के रूप में माल आयात किया गया है और उसी माल की डिलीवरी व्यवहारी द्वारा नहीं ली गई है तथा स्थानीय खरीदारों को जो माल



विक्य किया है वह जी आर पर एन्डोर्समेन्ट करके विक्य किया गया है और खरीदारों द्वारा ही ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल की डिलीवरी ली गई है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के अनुसार माल का विक्य माल के गमनागमन के दौरान किया गया है तथा निर्धारित ई—1 एवं सी फार्म पेश कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत कर से छूट प्राप्त की गई है, जो विधि सम्मत है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के स्पष्टीकरण-1 के उपबन्धों पर विचारिकये बिना ही आदेश पारित किया है,जो विधि सम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि कोई व्यवहारी विक्यकता से ई-1 एवं खरीदार से सी फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत कर से छूट की पात्रता रखता है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष 95-96 से पूर्व एवं पश्चात के कर निर्धारण के तथ्य वर्ष 95-96 के कर निर्धारण के समान होने के बावजूद भी व्यवहारी को धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर कर से छूट प्रदान नहीं की गई है। उनका कथन है कि माल का गमनागमन पर माल ज्यों ही कैरियर या बैली को सुपुर्द कर जी आर बनवाने से प्रारम्भ हो जाता है और जब तक इस माल की वास्तविक डिलीवरी नहीं ली जाती है तब तक यह माल गमनागमन में ही रहता है और गमनागमन के दौरान माल का बेचान Transfer of ducument of title to goods जी आर पर एन्डोर्स कर किया जाता है तब तक वह बिकी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के अन्तर्गत होती है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड, अपीलाधीन आदेश एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक बिल से माल खरीद कर उसी माल को अलग—अलग नगों मे विभाजित कर माल राज्य के बाहर गुजरात एवं महाराष्ट्र से कलर, केमिकल आयात किया गया है और एक बिल से खरीद कर अलग—अलग नगों की जी आर बनवाकर राज्य में रू. 1,00,13,548/—का माल आयातित किया है तत्पश्चात केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर कर से छूट प्राप्त की है, जो स्वीकार्य है अथवा नहीं? कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रकार से की गई बिकी को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) की बिकी न मानकर राजस्थान राज्य में स्थानीय बिकी मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर करारेपण किया है तथा उक्त कर को

A/ 4

अदत्त मानकर उस पर ब्याज तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रकार की गई बिक्री को कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) की बिकी नहीं माना है। इसलिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) को उद्धरित किया जाना समीचीन है:-

"3.A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-state trade or commerce if the sale or purchase-(a)occasions the movement of goods from one State to another; or

(b)is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one state to another.

Explanation 1:- Where goods are delivered to a carrier or other bailee for transmission, the movement of the goods shall, for the purpose of clause (b) be deemed to commence at the time of such dellivery and terminate at the time when delivery is taken from such carrier or bailee.

केन्द्रीय अधिनियम की उक्त धारा पठन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के लिए आवश्यक दो शर्तें है, जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बनाम एस.आर.सरकार (1960) 11 एस टी सी 655 के प्रकरण में पारित निर्णय में वर्णन किया है,जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"The Supreme Court further observed that the sale contemplated by clause (b) is one which is effected by transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another. Where the property in the goods has passed before the movement has commenced, the sale will evidently not fall within clause(b) nor will the sale in which the prrperty in the goods passes after movement from on State to another has ceased, be covered by the clause."

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक बिल से माल खरीदकर अलग–अलग जी.आर. बनाकर गुडस के डिलीवरी Carrier/Bailee को दी गई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने अंकित किया है कि कर निर्धारण में 3 (बी) के विवेचन से तीन महत्वपूर्ण बिन्दु बिकी के लिए उभरकर सामने आते हैं प्रथम, Document of title to goods,द्वितीय Movement of goods एवं तृतीय Delivery of the goods. उक्त तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करने से केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के साथ-साथ माल विकय अधिनियम, 1930 के उपरोक्त बिन्दुओं पर दिये गये वर्णन निम्न प्रकार =: \$

1."document of title to goods":- include a bill of lading, dock-warrant, warehouse-keeper's certificate, wharfingers, railwlay receipt, multidodal transport document, warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary

course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or purporting to authorise, either by endorssement or by delivlery, the possessor of the document to transfer or receive goods therby represented;

- 2- Section 51 duration of transit goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailee.
- 3- Section 33 Deliverry Delivery of goods may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf.

कर निर्धारण अधिकारी ने इनवाइस को document of title माना है परन्तु अपीलार्थी व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में भाग लेते हुये निवेदन किया कि गुड़स एक्ट की धारा 2(4) के अंदर document of title को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार LRS/GRS/RR Document of title है न कि इनवाइस। माल के अन्तर्राज्यीय गमनागमन के दौरान GRS ही Documents of title to good है और यही विधिक स्थिति है। Movement of goods के संबंध में CST की धारा 3(बी) के Explanation के अनुसार :- Where goods are delivered to a carrier or other bailee for transmission the movement of the goods shall, for the purpose of clause (b) be deemed to commence at the time of such delivery and terminate at the time when delivery is taken from such carrier or bailee.

धारा 3(b) के लिये ज्यों ही माल carrier/bailee को सुपुर्द किया जाता है माल का movement start हो जाता है और माल तब तक गमनागमन रहता है जबतक कि इस माल की सुपुर्दगी carrier/bailee से नहीं ली जाती है। इस प्रकरण में व्यवसायी द्वारा माल की ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कोई डिलीवरी नहीं ली गई है और स्थानीय ग्राहकों को माल का बेचान बिल्टी एन्डोर्स कर गमनागमन के दौरान किया गया। माल के गमनागमन उस बिन्दु से शुरु होता है जहां से माल carrier को सुपुर्द किया जाता है और वहीं खत्म होता है जहां इस माल की वास्तविक डिलीवरी carrier से ली जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण में अर्जुन दास गुप्ता एण्ड ब्रदर्स बनाम किमश्नर आफ सेल्स टैक्स, न्यू देहली (1980) 45 STC 52 Delhi HC का उल्लेख किया है परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने इस प्रकरण में तथ्य भिन्न बताये है। माननीय देहली हाइकोर्ट के निर्णय के अध्ययन से स्पष्ट है कि अर्जुन गुप्ता जो देहली के बाहर से बिहार एवं बंगाल से कोयला आयातित कर दिल्ली के क्रेताओं को विक्रय करते थे यह प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 1964—65 से संबंधित है उस समय देहली में कोयले का आयातन Essential commodity Act के तहत coal control order 1963

के प्रावधानों के तहत ही आयातित किया जा सकता था, तब आयातकर्ता को आर.आर. सिविल सप्लाई अर्थोरिटि के सामने एन्डोर्समेन्ट के लिये पेश की जाती थी क्योंकि अथोरिटिज की अनुमति के बगैर कोई भी देहली में कोयला आयात नहीं कर सकता था। सिविल अथारिटिज द्वारा आर.आर. को एन्डोर्स करने के पश्चात व्यवसाई द्वारा उन्हें Purchaser को आर.आर. एन्डोर्स की जाती थी और Purchaser ही माल की वास्तविक डिलीवरी रेल्वे को भुगतान कर लेता था। अतः प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होते है। उपरोक्त निर्णय के आधार पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा धारा 6(2) की सेल के संबंध में परिपत्र क्रमांक 1105बी एफ.11(3)CST/TAX/CCT/97/1563 दिनांक 16.09.1997 एवं परिपत्र क्रमांक 1132 ए सीसीटी एफ. 11(3) CST/TAX/CCT/61 जारी किया गया, जिसमें क्रमशः 10 दिन तथा 30 दिन तक का ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में माल पड़े रहने को ही गमनागमन में माना गया था एवं एक अन्य परिपत्र दिनांक 16.07.1999 को आयुक्त द्वारा जारी किया गया जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि पूर्व में जारी दोनों करनीति परिपत्र कर पालना में दिनांक 16.07.1997 के बाद के प्रकरणों में की जाये एवं व्यवसाई का प्रकरण वर्ष 1995-96 से संबंधित है अतः इस प्रकरण में ये परिपत्र लागू नहीं होता है। परिपत्रों में constructive delivery को आधार बनाया गया था न कि वास्तविक डिलहवरी को परन्तु माननीय राजस्थान हाइकोर्ट ने अपने निर्णय सीटीओ ए.ई.-प्रथम कोटा बनाम बोम्बे मशीनरी स्टोर कोटा टैक्स अपडेट 2007(9) टैक्स अवडेट पेज 315 में उपरोक्त दोनों परिपत्रों को अविधिक माना है कोर्ट के निर्णय के बिन्दु 11 के अनुसार :-

This court is of the opinion that the concept of constructive delivery is not at all relevant for the purpose of giving exemption from tax under Section 6(2) of the CST Act. The condition stipulated for giving such exemption from CST are contained in section 6(2) of the Act itself, namely furnishing of declaration prescribed under Section 8(4) of the CST Act and certificate under Rule 12 it Form E-1 and E-2 prescribed under the CST (Registration and Turnover) - Rules, 1956. There is no place of any intendment in taxing statutes; therefore, concept of constructive delivery could not be imputed into the realm of conditions for grant of exemption under Section 6(2) of the CST Act. Explanation 1 to section 3(b) of the CST Act also clearly stipulates that the movement of the goods for the purpose of clause (b) shall be deemed to commence at the time of such delivery of goods to the carrier or the baliee for transmission and terminate at the time when delivery is taken from the carrier or baliee.

माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ मैसर्स करमचन्द थापर एण्ड बद्रर्स (सी.एस.) लिमिटेड बनाम सेल्स टेक्स किमश्नर रिपोर्टेड 1981 टीएलआर 3101 के निर्णय में देहली हाइकोर्ट के अर्जुनदास गुप्ता केस (1980) 45 एसटीसी 52 से भी सहमत नहीं है। इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार :—

A)

"Dealing with section 3(b) read with Explanation 1, the court held that a sale or purchase of goods takes place in the course of interstate trade or commece, if effected by the transfer of documents of title to the goods during their movement from one state to the other shall be deemed to be an inter state sale. The court found that the starting point of the movement is delivery of the goods to the carrier or bailee for transmission and the point of termination is when the goods taken delivery of from the carrier of such bailee. The division bench held that the Explanation contains a deeming clause and the fiction so created is to be taken to its logical conclusion. The court further held that if sale or purchase is effected by transfer of documents of title to the goods during such movement of the goods during such movement of the goods during such movement of the goods it shall be treated as an inter-state sale".

माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय (1996) 20 आरटीजेएस 311 सीटीओ सर्किल—ए अजमेर बनाम भगवान दास एण्ड सन्स, अजमेर के निर्णय में भी अर्जुनदास गुप्ता एण्ड बद्रर्स बनाम किमश्नर आफ सेल्स टैक्स को आधार न मानकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी में एक महीने और उससे अधिक समय तक रखे माल का विक्रय स्वामित्व दस्तावेज स्थानातरित होना बताकर सीएसटी की धारा 6(2) के तहत पश्चातवर्ती बिक्री बताते हुए कर से छूटी चाही गई थी जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया परन्तु राजस्थान कर बोर्ड ने इस बिक्री को धारा 6(2) में पश्चातवर्ती बिक्री माना जाकर छूट स्वीकार की।

व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय (1980) 68 एसटीसी 101 सीटीओ अजमेर बनाम राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रियल कारपोरशन के निर्णय की ओर आकर्षित किया जिसमें एक इनवाइस में राजस्थान राज्य के बाहर से आयातित कोल को अलग—अलग जी.आर. में एन्डोर्स किये गये विक्रय को सीएसटी की धारा 3(बी) के तहत बिक्री माना गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक बिल से क्रय किये गये माल की अलग—अलग नगों में जी.आर. बनाकर आयातित कर गमनागमन के दौरान माल स्वामित्व के दस्तावेज स्थानातंरित धारा 6(2) के अधीन पश्चातवर्ती विक्रय विधिसम्मत है। सीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) में प्रावधान cascading effect of multipul taxation से बचाव के लिये किया गया है। यदि कोई पश्चातवर्ती बिक्री धारा 6(2) की शर्तो को पूर्ण करती है तो उसे कर से छूट प्रदान की जाती है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के उपबन्ध निम्न प्रकार है

(A) to the government or

[&]quot;6(2) Notwithsatnding anything contained in subsection (1) or such section (1A) where a sale of any goods in the course of inter state trade or commece has either occasioned the movement of such goods from one stae to another or has benn effected by a transffer of documents of title to such goods during their movement from one state to another, any subsequent sale during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods:-

(B) To a registered delaer other than the government if the goods are of the description referred to in sub section (3) of section 8, Shall be exempt from tax under this Act:"

उक्त धारा के पंउन से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवसायी विक्रयकता से ई-1 एवं खरीदार से सी-फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत कर से छूट की पात्रता रखता है।

हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के स्पष्टीकरण—1 के उपबन्धों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है, जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है । कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी के यहां कई दिनों तक माल पड़ा रहने के कारण गमनागमन की स्थिति को समाप्त होना मान लिया है परन्तु ट्रासंपोर्ट कम्पनी के यहां कई दिनों तक किसी कारण माल पड़ा रह सकता है जब तक इस माल का कैरियर से परिदान (delivery) नहीं ले ली जाती है तब तक माल के गमनागमन की स्थिति समाप्त नहीं होती है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धृत किया है, जिनके कुछ न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित किया जाना समीचीन है :—

(i) State of West bengal and othres Vs. Joshi Jute corporaion and another (1996) 100 STC 17 (Cal-2judges)

Inter State sale second or subsequent inter state sale - examption Order placed with jute mill in calcutta by jute dealer in calcutta - On instruction by dealer goods sent by mill directly to party in Kerela - Sale by mill dealer inter state sale - Sale by dealer to kerela party by endrosement of consignment note- Subsequent sale - Exempt Central Sales Tax Ac (74 of 1956) 3(b) 6(2)

The Respondent a dealer in jute goods in calcutta placed an order upon a jute mill in calcutta for certain jute goods. under instruction from the respondent dealer the goods were

delivered directly to a party in kerela. The respondent delaer's claim that it sales to the kerela party were subsequent sales within the meaning of section(2) of the Central Sales Tax Act 1956 and exempt was rejected by the commercial tax Officer. A single judge of the High court on a writ petition held that the sales in question were subsequesnt sales and exempt. On appeal by the department.

Held dismissing the appeal that form the documents placed on record by the respondent before the CTO, such as contracts, shipping instruction, invoices and bills prepared by the mills as well as by the respondent, it was clear that transaction, in question were subsequent sales. The respondent had paid sales tax at the rate of 4 per cent on its purchase from the mill, and had not charged teh kerela party any. The commercial tax officer ought to have been satisfied with

A 4

the documents and statements filed, which unequivocally proved that the first sale by the mill to the respondent and statements filed, which unequivocally proved that the first sale by the mill to the respondent was an inter-state sale by transfer of documents of title (consignment notes) and the second transfer by the respondent to the kerela party endrosment of the consignment note was a subsequent sale which did not attract tax over again.

(ii)A & G Projects And Technologies Ltd. Vs. State of Karnataka (2009) 19 VST 239 (SC- 2 Judges):

Inter-State sale—Inter-State sale or intra-State sale—Two tests applied—Sale occasioning movement of goods or sale by transfer of documents of title to goods while goods are in transit—Dividing line—Second or subsequent inter-State sale not exempt under section 6(2)—Appropriate State entitled to levy tax—Provision not applicable to "subsequent sale" covered by section 3(a)—Karnataka Sales Tax Act (25 of 1957), s. 12B(4)—Central Sales Tax Act (74 of 1956), ss. 3(a), (b), 6(2), 9(1), proviso—Sale of Goods Act (3 of 1930), ss. 2(4), 23.

Inter-State sale or local sale—Though essentially question of fact—Yet is a mixed question of law—Central Sales Tax Act (74 of 1956), s. 3.

To ascertain whether a sale is an inter-State sale or not, two tests are applied, one of which is that a sale or purchase takes place in the course of inter-State trade if it occasions movement of the goods from one State to another, and the other is that a sale or purchase takes place by transfer of documents of title during the movement of goods from one State to another. (see para 11)

The question whether a particular sale is an inter-State sale or an intra-State sale, though essentially one of fact, is not a pure question of fact inasmuch as the facts of a given case have to be examined in the light of section 3 of the Central Sales Tax Act, 1956; and, therefore, it is a mixed question of fact and law. (see para 11)

The dividing line between sales or purchases under section 3(a) and those falling under section 3(b) is that in the former case the movement is under the contract, whereas in the latter case the contract comes into existence only after the commencement and before the termination of the inter-State movement of the goods. Therefore, it follows that an inter-State sale can either be governed by section 3(a), if it occasions movement of goods from one State to another, or under section 3(b) if it is effected by transfer of documents of title after such movement has started and before the goods are actually delivered. In other words, a sale which takes place under section 3(a) is excluded from the purview of section 3(b) and vice versa. (see para 11)

(iii) 3B Mitsubishi Corporation India Private Limited Vs. Value Added Tax Officer and another (2010) 34 VST 417 (Del-2Judges)

Central Sales TAx- Examption- Second or Subsequent inter state sale-sale effected by transffer of document of title to goods during their movement from one state to another Entitled to exemption if conditions stipuled with -That first sale exempt not relevant-Central Sales tax Act (74 of 1956) s,6(2)

In order to attract section 6(2) of the Central Sales TAx Act, 1956 it is essential that the sale concerned must be a subsequent inter state sale effected by transfer of documents of title to the goods during the movement of the goods form one another and it must be preceded by a prior inter-state sale. when the conditions specified in section 6(2) of the Central Sales Tax Act, 1956 whether in teh main provision or in the provisos, are all satisfied the dealer would be entitled to exemption on the second or subsequent inter-state sale, irrespective of the fact whether the first sale was exempted or not."

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही वर्ष 1995—96 से पूर्व एवं पश्चात के निर्धारण के तथ्य 1996—96 के कर निर्धारण के समान होने के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर कर से छूट प्रदान नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि वर्ष 1996—97 का कर निर्धारण दिनांक 07.09.1999 को पारित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में पश्चातवर्ती बिक्री को कर से छूट प्रदान की गई है,जिसके लिए आयक्त,वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी परिपन्न सीसीटी सरक्यूलर एफ.11(3) / टैक्स / सीसीटी / 97 / 901 दिनांक 19.07.1999 का अवलम्ब लिया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

S.No. 1113 : CCT Circular F.11(3)/Tax/CCT/97/Pt./901 dated 19.07.1999

Various tarade associations have represented that after the issuance of circular dated 16.09.1997 (S.No. 917), the assessing authorities are re opening the cases even for the period earlier to the issuance of the circular i.e. 16.09.1997. These associations have submitted that as per the then prevalent trade practices, the sales under section 6 (2) of the CST Act were effected even beyond the period of thirty days as restricted by the above referred circular Re opening of such cases exclusively on this account has resulted in adverse impact on trade and causing undue hardship to bonafide transactions. In view of this, request has been made by these associations to give prospective operation to the said circular. This matter has been examined in the Department and it is, hereby, clarified that the above mentioned circular will be applied prospectively.

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यवहारी विकयकर्ता से ई—1 एवं खरीदार से सी फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह केन्द्रीयय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत छूट की पात्रता रखता है। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विकय की अधिनियम की धारा

A 4

_10-अपील संख्या-1650/2012/पाली

3(बी) के स्पष्टीकरण प्रथम के उपबन्धों का गलत निर्वचन कर आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)

सदस्य

सदस्य